NEXT IAS

दैनिक समसामयिकी विश्लेषण

समय: 45 मिनट

दिनाँक: 22-05-2026

विषय सूची

UMMID (वंशानुगत विकारों के प्रबंधन की विशिष्ट पद्धतियाँ) कार्यक्रम

यदि अभियुक्त सहमत हो, तो राजद्रोह मामलों की सुनवाई जारी रह सकती है : उच्चतम न्यायालय

वैश्विक आवास संकट: समावेशी शहरी विकास के लिए एक खतरा

भारत में अनुसंधान एवं विकास करने की सुगमता पर रिपोर्ट – नीति आयोग

संक्षिप्त समाचार

- भारत की सांस्कृतिक कूटनीति उपहारों के माध्यम से
- एशियाई उत्पादकता संगठन (APO)
- इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट/वेप्स
- इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रसीदें (EGRs)
- बॉन्ड यील्ड्स
- IPOs और री-लिस्टिंग्स के लिए SEBI द्वारा नया प्राइस-डिस्कवरी मैकेनिज़्म प्रस्तावित
- अरुणाचल कीवी मिशन
- स्पर्म व्हेल्स

UMMID (वंशानुगत विकारों के प्रबंधन की विशिष्ट पद्धतियाँ) कार्यक्रम

संदर्भ

- विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री ने दुर्लभ आनुवंशिक विकारों के लिए UMMID (वंशानुगत विकारों के प्रबंधन की विशिष्ट पद्धतियाँ) कार्यक्रम राष्ट्र को समर्पित किया।

UMMID कार्यक्रम के बारे में

- यह जैव प्रौद्योगिकी विभाग (DBT) की एक पहल है, जिसका उद्देश्य भारत में दुर्लभ आनुवंशिक विकारों के निदान और प्रबंधन में सुधार करना है।
- कार्यक्रम का लक्ष्य वंशानुगत विकारों के लिए निदान, स्क्रीनिंग और परामर्श को अधिक किफायती, सुलभ एवं व्यापक रूप से उपलब्ध कराना है।
- यह पहल चिकित्सकों के प्रशिक्षण और आनुवंशिक स्वास्थ्य देखभाल में संस्थागत क्षमता निर्माण को भी समर्थन देती है।
- सरकार ने UMMID डैशबोर्ड और UMMID संकलन जारी किया है ताकि देशव्यापी निगरानी, निदान और जनसंपर्क सेवाओं को सुदृढ़ किया जा सके।

दुर्लभ आनुवंशिक विकार क्या हैं?

- दुर्लभ आनुवंशिक विकार वे रोग हैं जो जीन या गुणसूत्रों में असामान्यताओं या उत्परिवर्तन के कारण उत्पन्न होते हैं।
- ये सामान्यतः माता-पिता से विरासत में मिलते हैं और शारीरिक, तंत्रिका संबंधी, चयापचय या विकासात्मक कार्यों को प्रभावित कर सकते हैं।
- यद्यपि प्रत्येक विकार से प्रभावित लोगों की संख्या कम होती है, सामूहिक रूप से दुर्लभ रोग वैश्विक स्तर पर एक बड़ी सार्वजनिक स्वास्थ्य चुनौती प्रस्तुत करते हैं।
- **दुर्लभ आनुवंशिक विकारों के कारण:**
  - जीन में विरासत में मिले उत्परिवर्तन प्रमुख कारणों में से एक हैं।
  - गुणसूत्रीय असामान्यताएँ विकासात्मक और वंशानुगत विकारों का कारण बन सकती हैं।
- **उदाहरण:**
  - **सिकल सेल रोग:** एक वंशानुगत रक्त विकार जो लाल रक्त कोशिकाओं के आकार और कार्य को प्रभावित करता है।
  - **थैलेसीमिया:** एक वंशानुगत रक्त विकार जो शरीर की स्वस्थ हीमोग्लोबिन बनाने की क्षमता को कम करता है।
  - **हीमोफीलिया:** एक आनुवंशिक विकार जो रक्त के थक्के बनने की प्रक्रिया को बाधित करता है।
  - **ड्यूशेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी:** एक आनुवंशिक रोग जो मांसपेशियों के क्रमिक क्षय और कमजोरी का कारण बनता है।
  - **स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी (SMA):** एक दुर्लभ वंशानुगत रोग जो मांसपेशियों की गति को नियंत्रित करने वाली तंत्रिका कोशिकाओं को क्षति पहुँचाता है।

दुर्लभ आनुवंशिक विकारों से जुड़ी चुनौतियाँ

- **विलंबित निदान:** जागरूकता की कमी और अपर्याप्त आनुवंशिक परीक्षण सुविधाओं के कारण दुर्लभ रोगों का निदान विलंबित होता है।
  - अनेक रोगी सही निदान प्राप्त करने से पहले कई वर्षों तक विभिन्न चिकित्सकों से परामर्श लेते रहते हैं।
- **उच्च उपचार लागत:** दुर्लभ रोगों के उपचार और जीन-थेरेपी अत्यधिक महंगे होते हैं और अधिकांश परिवारों के लिए वहन योग्य नहीं होते।
  - आयातित दवाओं पर निर्भरता स्वास्थ्य व्यय को और बढ़ा देती है।
- **सीमित स्वास्थ्य अवसंरचना:** भारत में आनुवंशिक निदान और परामर्श के लिए विशेषीकृत केंद्रों की संख्या सीमित है।
  - दुर्लभ रोगों के लिए उन्नत स्वास्थ्य सुविधाएँ मुख्यतः शहरी क्षेत्रों में केंद्रित हैं।
- **कुशल पेशेवरों की कमी:** भारत प्रशिक्षित आनुवंशिक परामर्शदाताओं, चिकित्सकों और जीनोमिक शोधकर्ताओं की कमी का सामना कर रहा है।
- **सामाजिक भार:** दुर्लभ रोगों से प्रभावित परिवारों को भावनात्मक तनाव, सामाजिक कलंक और आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।

- **सीमित अनुसंधान और डेटा:** व्यापक डेटा और रोग रजिस्ट्रियों की कमी प्रभावी नीतिनिर्माण और अनुसंधान को प्रभावित करती है। दुर्लभ रोगों में वैज्ञानिक अनुसंधान और औषधि विकास हेतु अपेक्षाकृत कम निवेश किया जाता है।

सरकारी पहलें

- **राष्ट्रीय दुर्लभ रोग नीति (NPRD), 2021:** दुर्लभ रोगों की रोकथाम और प्रबंधन के लिए एक रूपरेखा प्रदान करती है। यह नीति चयनित दुर्लभ रोगों के उपचार हेतु वित्तीय सहायता का समर्थन करती है।
- **राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम (RBSK):** जन्मजात दोषों और विकासात्मक विकारों वाले बच्चों के लिए प्रारंभिक स्क्रीनिंग एवं हस्तक्षेप सेवाएँ प्रदान करता है।
- **सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन:** भारत सरकार का लक्ष्य है कि 2047 तक सिकल सेल एनीमिया को सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या के रूप में समाप्त किया जाए।

आगे की राह

- भारत को नवजात और प्रसवपूर्व स्क्रीनिंग कार्यक्रमों का विस्तार सभी राज्यों एवं जिलों में करना चाहिए।
- सरकार को आनुवंशिक निदान और परामर्श के लिए अधिक विशेषीकृत केंद्र स्थापित करने चाहिए।
- जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान, जीनोम अनुक्रमण और स्वदेशी उपचारों में अधिक निवेश की आवश्यकता है।

Source: AIR

यदि अभियुक्त सहमत हो, तो राजद्रोह मामलों की सुनवाई जारी रह सकती है : उच्चतम न्यायालय

संदर्भ

- उच्चतम न्यायालय ने कहा कि यदि अभियुक्त को कोई आपत्ति न हो, तो भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 124A के अंतर्गत राजद्रोह से संबंधित मामलों में लंबित विचारण (ट्रायल) तथा अपीलों की कार्यवाही आगे बढ़ाई जा सकती है।

परिचय

- वर्ष 2022 में उच्चतम न्यायालय ने राजद्रोह से संबंधित उन सभी मामलों की सुनवाई पर रोक लगा दी थी, जो विभिन्न न्यायालयों में लंबित थे। यह रोक तब तक के लिए लगाई गई थी, जब तक केंद्र सरकार औपनिवेशिक कालीन इस प्रावधान की "पुनः समीक्षा और पुनर्विचार" की प्रक्रिया पूर्ण नहीं कर लेती।
- न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया था कि पुनर्विचार की प्रक्रिया के दौरान केंद्र एवं राज्य सरकारें धारा 124A के अंतर्गत नई एफआईआर दर्ज करने, जांच जारी रखने अथवा किसी प्रकार की दंडात्मक अथवा बलपूर्वक कार्रवाई करने से परहेज करें।

भारत में राजद्रोह कानून की पृष्ठभूमि

- राजद्रोह संबंधी कानून मूलतः 1860 में थॉमस बैबिंगटन मैकॉले द्वारा तैयार भारतीय दंड संहिता (IPC) का हिस्सा नहीं था। इसे बाद में वर्ष 1870 में ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार द्वारा जोड़ा गया।
- ब्रिटिश शासन ने राजद्रोह कानून मुख्यतः निम्न उद्देश्यों से लागू किया था—
  - उभरती राष्ट्रवादी भावना को दबाने के लिए,
  - स्थानीय भाषाई प्रेस पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए,
  - औपनिवेशिक शासन की आलोचना को रोकने के लिए,
  - स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े नेताओं को दंडित करने के लिए।
- बाल गंगाधर तिलक उन प्रारंभिक राष्ट्रवादी नेताओं में शामिल थे, जिन पर राजद्रोह का मुकदमा चलाया गया।

भारतीय दंड संहिता की धारा 124A

- धारा 124A के अनुसार, यदि कोई व्यक्ति शब्दों—चाहे वे बोले गए हों या लिखित—संकेतों, दृश्य निरूपण अथवा अन्य किसी माध्यम से विधि द्वारा स्थापित सरकार के प्रति घृणा, अवमानना या असंतोष उत्पन्न करता है अथवा उत्पन्न करने का प्रयास करता है, तो वह दंड का भागी होगा।
- इस अपराध के लिए निर्धारित दंड में शामिल थे—

- जुर्माने सहित आजीवन कारावास, या
- जुर्माने सहित तीन वर्ष तक का कारावास, या
- केवल जुर्माना।

- यह अपराध संज्ञेय (Cognizable), गैर-जमानती (Non-bailable) तथा गैर-समझौतायोग्य (Non-compoundable) था।
  - इसके कारण पुलिस एवं प्रशासन को व्यापक शक्तियाँ प्राप्त थीं।
- हालाँकि, इस प्रावधान में यह भी स्पष्ट किया गया था कि यदि सरकार की नीतियों की वैधानिक आलोचना घृणा, हिंसा अथवा लोक व्यवस्था भंग करने के उद्देश्य से न की गई हो, तो उसे राजद्रोह नहीं माना जाएगा।

राजद्रोह पर संवैधानिक विमर्श

- **अनुच्छेद 19(1)(a) : वाक् एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता:** भारतीय संविधान प्रत्येक नागरिक को वाक् एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार प्रदान करता है। इसमें शामिल हैं—
  - सरकार की आलोचना करने की स्वतंत्रता,
  - प्रेस की स्वतंत्रता,
  - राजनीतिक विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता,
  - शांतिपूर्ण असहमति व्यक्त करने का अधिकार।
- **अनुच्छेद 19(2) के अंतर्गत युक्तिसंगत प्रतिबंध:** राज्य सार्वजनिक व्यवस्था, राज्य की सुरक्षा तथा भारत की संप्रभुता एवं अखंडता के हित में इस स्वतंत्रता पर युक्तिसंगत प्रतिबंध लगा सकता है।
  - राजद्रोह से संबंधित संवैधानिक परिचर्चा का मुख्य प्रश्न यह था कि क्या धारा 124A अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर अनुचित प्रतिबंध लगाती है।

राजद्रोह पर उच्चतम न्यायालय के महत्त्वपूर्ण निर्णय

- **केदार नाथ सिंह बनाम बिहार राज्य:** उच्चतम न्यायालय ने धारा 124A की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा, किंतु इसके प्रयोग की सीमा निर्धारित कर दी।
- न्यायालय ने कहा कि—
  - केवल सरकार की आलोचना करना राजद्रोह नहीं है,
  - सरकार के विरुद्ध तीखी टिप्पणी भी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत संरक्षित है,
  - राजद्रोह तभी माना जाएगा जब हिंसा भड़काने अथवा लोक व्यवस्था भंग करने का स्पष्ट प्रयास या उद्देश्य हो।
  - यह निर्णय राजद्रोह कानून की व्याख्या का मार्गदर्शक सिद्धांत बन गया।
- **बलवंत सिंह बनाम पंजाब राज्य:** न्यायालय ने कहा कि ऐसे पृथक कथन, जिनसे हिंसात्मक परिणाम उत्पन्न न हों, उन्हें राजद्रोह के रूप में दंडित नहीं किया जा सकता।
- **विनोद दुआ बनाम भारत संघ:** न्यायालय ने निर्णय दिया कि सरकार की नीतियों अथवा पदाधिकारियों की तीव्र आलोचना अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के दायरे में आती है। जब तक हिंसा भड़काने अथवा लोक शांति भंग करने का स्पष्ट और सिद्ध उद्देश्य न हो, तब तक उसे राजद्रोह नहीं माना जा सकता।

भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023 के अंतर्गत राजद्रोह

- सरकार ने आधिकारिक रूप से भारतीय दंड संहिता की धारा 124A को समाप्त कर दिया तथा कहा कि औपनिवेशिक कालीन राजद्रोह कानून को निरस्त कर दिया गया है।
- हालाँकि, धारा 124A हटाए जाने के बावजूद भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023 की धारा 152 में भारत की संप्रभुता, एकता एवं अखंडता को संकट में डालने वाले कृत्यों से संबंधित एक नया अपराध जोड़ा गया है।
- इस प्रावधान के अंतर्गत निम्न गतिविधियों को अपराध घोषित किया गया है—
  - पृथकतावादी गतिविधियाँ,
  - सशस्त्र विद्रोह,
  - विध्वंसकारी गतिविधियाँ,
  - अलगाववादी भावनाओं को प्रोत्साहन देना,
  - राष्ट्रीय एकता को खतरे में डालने वाली गतिविधियाँ।
- इसके लिए दंड—
  - आजीवन कारावास, अथवा
  - सात वर्ष तक का कारावास एवं जुर्माना हो सकता है।

नए प्रावधान की आलोचना

- **व्यापक एवं अस्पष्ट शब्दावली:** "विध्वंसकारी गतिविधियाँ" तथा "अलगाववादी भावनाएँ" जैसे शब्द अत्यधिक व्यापक एवं अस्पष्ट माने जा रहे हैं। आलोचकों का मत है कि इनकी व्यापक व्याख्या के माध्यम से शांतिपूर्ण असहमति को भी निशाना बनाया जा सकता है।
- **राजद्रोह कानून की निरंतरता:** कुछ विधि विशेषज्ञों का तर्क है कि यद्यपि धारा 124A को समाप्त कर दिया गया है, तथापि नया प्रावधान भिन्न शब्दावली के माध्यम से राज्य को लगभग समान शक्तियाँ प्रदान करता है।

निष्कर्ष

- राजद्रोह कानून मूलतः ब्रिटिश शासन द्वारा स्वतंत्रता आंदोलन को दबाने के उद्देश्य से लागू किया गया था। स्वतंत्रता के पश्चात भी यह प्रावधान अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के साथ संभावित टकराव के कारण निरंतर विवाद का विषय बना रहा।
- उच्चतम न्यायालय ने समय-समय पर यह स्पष्ट किया कि केवल वही भाषण दंडनीय होगा, जिसमें हिंसा भड़काने अथवा लोक व्यवस्था भंग करने का प्रत्यक्ष तत्व विद्यमान हो।
- भारतीय दंड संहिता के स्थान पर भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023 लागू होने के साथ राजद्रोह का औपचारिक प्रावधान समाप्त कर दिया गया है, किंतु धारा 152 के दायरे एवं उसकी संभावित व्याख्या को लेकर बहस अभी भी जारी है।

Source: TH

वैश्विक आवास संकट: समावेशी शहरी विकास के लिए एक खतरा

संदर्भ

- विश्व नगर रिपोर्ट 2026 जिसका शीर्षक "वैश्विक आवास संकट: कार्यवाही के मार्ग" है, संयुक्त राष्ट्र-हैबिटेट (UN-Habitat) द्वारा जारी की गई। इसमें यह रेखांकित किया गया कि विश्व की लगभग 40% जनसंख्या गंभीर आवास संकट का सामना कर रही है।

वैश्विक आवास संकट क्या है?

- वैश्विक आवास संकट से आशय लोगों की पर्याप्त, किफायती, सुरक्षित और जलवायु-प्रतिरोधी आवास तक पहुँच की बढ़ती अक्षमता से है। इस संकट में शामिल हैं:
  - किफायती आवास इकाइयों की कमी।
  - आवास और किराए की बढ़ती कीमतें।
  - झुग्गियों और अनौपचारिक बस्तियों का विस्तार।
  - बेघरपन और जबरन विस्थापन।
  - स्वच्छता, जल और बुनियादी शहरी सेवाओं तक खराब पहुँच।
  - आवासीय अवसंरचना की बढ़ती जलवायु संवेदनशीलता।

रिपोर्ट के प्रमुख निष्कर्ष

- **आवास अपर्याप्तता का अभूतपूर्व स्तर:** विश्वभर में लगभग 3.4 अरब लोगों को पर्याप्त आवास उपलब्ध नहीं है और 1.1 अरब से अधिक लोग अनौपचारिक बस्तियों और झुग्गियों में रहते हैं।
  - वैश्विक आवास घाटा 2010 में 251 मिलियन इकाइयों से बढ़कर 2023 में 288 मिलियन इकाइयों तक पहुँच गया।
- **आवास वहनीयता संकट:** वैश्विक हाउस प्राइस-टू-इनकम अनुपात 2010 में 9.5 से बढ़कर 2023 में 11.7 हो गया, जो आवास वहनीयता में तीव्र गिरावट को दर्शाता है।
  - मध्य और दक्षिण एशिया में यह वृद्धि सबसे अधिक रही, जो 16.8 तक पहुँची।
  - विश्वभर में लगभग 44% परिवार अपनी आय का 30% से अधिक आवास व्यय पर खर्च करते हैं।
- **तीव्र शहरीकरण से बढ़ता दबाव:** 2050 तक शहरी क्षेत्रों में लगभग 2 अरब अतिरिक्त निवासियों को समायोजित करना होगा। बढ़ती शहरी भूमि कीमतें और अपर्याप्त योजना आवास संकट को और गहरा कर रही हैं।
- **बढ़ता विस्थापन और बेघरपन:** 2024 में लगभग 123.2 मिलियन लोग संघर्ष, हिंसा और आपदाओं के कारण जबरन विस्थापित हुए।

- UN-Habitat के अनुसार 2003 से 2023 के बीच शहरी विकास गतिविधियों के कारण लगभग 64 मिलियन लोग अनौपचारिक बस्तियों से विस्थापित हुए।
- **जलवायु परिवर्तन से बढ़ती आवासीय संवेदनशीलता:** जलवायु-संबंधी आपदाएँ 2040 तक लगभग 167 मिलियन घर नष्ट कर सकती हैं। केवल 2023 में प्राकृतिक आपदाओं से 280 अरब अमेरिकी डॉलर का आर्थिक नुकसान हुआ।
  - भवन वैश्विक ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में लगभग 37% योगदान करते हैं, जबकि आवास अकेले 17–21% उत्सर्जन के लिए जिम्मेदार है।

भारतीय परिदृश्य

- **किफायती आवास आपूर्ति में गिरावट:** भारत के प्रमुख शहरों में किफायती आवास परियोजनाओं का हिस्सा 2018 में 52% से घटकर 2025 में 17% रह गया, क्योंकि डेवलपर्स अधिक लाभ के कारण प्रीमियम आवास को प्राथमिकता दे रहे हैं।
  - मुंबई और दिल्ली में हाउस प्राइस-टू-इनकम अनुपात उच्च है, जिससे मध्यम आय वर्ग के लिए घर खरीदना कठिन हो गया है।
- **अनौपचारिक बस्तियाँ:** शहरी केंद्रों की ओर तीव्र प्रवासन झुग्गियों और अनौपचारिक आवास पर दबाव बढ़ा रहा है।

वैश्विक आवास संकट के प्रमुख कारक

- **तीव्र शहरीकरण:** बड़े पैमाने पर शहरों की ओर प्रवासन ने आवास की माँग को आपूर्ति से अधिक बढ़ा दिया है।
- **बढ़ती भूमि कीमतें:** शहरी भूमि की बढ़ती कीमतों ने आवास निर्माण लागत को बढ़ा दिया है।
- **बढ़ती असमानता:** आय असमानता ने निम्न और मध्यम आय वर्ग के लिए वहनीयता को कम कर दिया है। प्रवासी, महिलाएँ और अनौपचारिक श्रमिक जैसे कमजोर वर्ग असमान रूप से प्रभावित होते हैं।
- **आवास का वित्तीयकरण:** आवास को सामाजिक आवश्यकता के बजाय निवेश संपत्ति के रूप में देखा जा रहा है।
  - सट्टा निवेश और कॉर्पोरेट स्वामित्व ने कीमतों को सामान्य परिवारों की पहुँच से बाहर कर दिया है।
- **कमज़ोर आवास शासन:** राष्ट्रीय और स्थानीय सरकारों के बीच कमजोर समन्वय आवास नीतियों के कार्यान्वयन को प्रभावित करता है।
  - कई नीतियाँ वहनीयता, स्वामित्व सुरक्षा और स्थिरता को पर्याप्त रूप से संबोधित नहीं करतीं।

Figure 1.4: The key drivers of the housing crisis

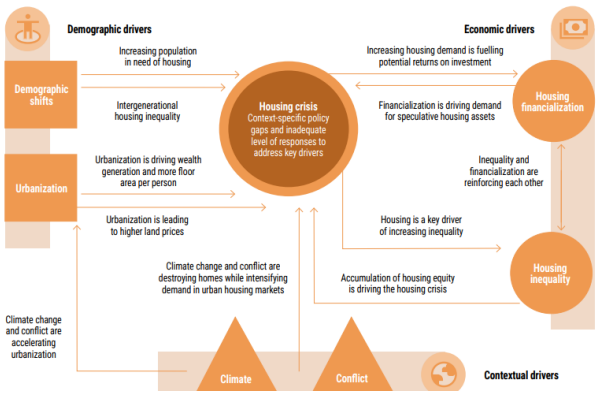

रिपोर्ट द्वारा सुझाए गए उपाय

- **आवास को सार्वजनिक प्राथमिकता मानें:** सरकारों को आवास को केवल बाज़ार वस्तु नहीं बल्कि सामाजिक कल्याण और मानव अधिकार के रूप में मान्यता देनी चाहिए।
- **अनौपचारिक बस्तियों का उन्नयन:** जबरन बेदखली के बजाय सहभागी इन-सीटू स्लम उन्नयन को बढ़ावा दें।
- **स्थानीय सरकारों को सशक्त करें:** शहरी स्थानीय निकायों को आवास वितरण हेतु वित्तीय और प्रशासनिक क्षमता प्रदान करें।
- **जलवायु-प्रतिरोधी आवास को बढ़ावा दें:** कम-कार्बन निर्माण सामग्री और ऊर्जा-कुशल आवास प्रणालियों को प्रोत्साहित करें।

भारत में किफायती आवास हेतु पहलें

- **वाल्मीकि अंबेडकर आवास योजना (VAMBAY):** 2001 में शहरी रोजगार और गरीबी उन्मूलन मंत्रालय द्वारा शुरू की गई। इसका उद्देश्य बीपीएल शहरी झुग्गीवासियों को आवास सहायता प्रदान करना था। बाद में इसे जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी पुनर्नवीकरण मिशन (JNNURM) में सम्मिलित कर दिया गया।
- **जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी पुनर्नवीकरण मिशन (JNNURM):** 2005 में सात वर्षीय प्रमुख शहरी पुनर्नवीकरण कार्यक्रम के रूप में शुरू किया गया।

इसमें दो प्रमुख आवास-संबंधी उप-मिशन शामिल थे:

- शहरी गरीबों के लिए बुनियादी सेवाएँ (BSUP)
- एकीकृत आवास और स्लम विकास कार्यक्रम (IHSDP)

- **राजीव आवास योजना (RAY):** 2011 में स्लम-मुक्त भारत बनाने के उद्देश्य से शुरू की गई। इस योजना ने राज्यों को झुग्गियों को औपचारिक शहरी प्रणाली में एकीकृत करने के लिए प्रोत्साहित किया।
- **प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY):** 2015 में सभी के लिए आवास के दृष्टिकोण के अंतर्गत शुरू की गई। इसका उद्देश्य पात्र शहरी और ग्रामीण परिवारों को बुनियादी सुविधाओं सहित किफायती पक्के घर प्रदान करना है।
  - PMAY-Urban (PMAY-U 2.0) शहरों के लिए
  - PMAY-Gramin (PMAY-G) ग्रामीण क्षेत्रों के लिए

निष्कर्ष

- वैश्विक आवास संकट 21वीं सदी की सबसे महत्वपूर्ण शहरी विकास चुनौतियों में से एक के रूप में उभर कर सामने आया है।
- तीव्र शहरीकरण, असमानता, महँगा आवास और जलवायु परिवर्तन विश्वभर में संवेदनशीलताओं को बढ़ा रहे हैं।
- इस संकट का समाधान एकीकृत शहरी योजना, मज़बूत सार्वजनिक निवेश, समावेशी आवास नीतियों और जलवायु-प्रतिरोधी अवसंरचना के माध्यम से ही संभव है।

Source: UN Habitat

भारत में अनुसंधान एवं विकास करने की सुगमता पर रिपोर्ट – नीति आयोग

संदर्भ

- "भारत में अनुसंधान एवं विकास करने की सुगमता" शीर्षक वाली रिपोर्ट नीति आयोग द्वारा जारी की गई है, जिसका केंद्र भारत के अनुसंधान पारिस्थितिकी तंत्र को सुदृढ़ करना है।

भारत में अनुसंधान एवं विकास की स्थिति

- **अनुसंधान एवं विकास पर कम व्यय:** भारत का सकल अनुसंधान एवं विकास व्यय (GERD) कई वर्षों से GDP का लगभग 0.64% ही रहा है। यह स्तर प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में काफी कम है:
  - इज़राइल और दक्षिण कोरिया GDP का 4% से अधिक R&D पर व्यय करते हैं।
  - अमेरिका और चीन GDP का 2% से अधिक R&D पर व्यय करते हैं।
  - रिपोर्ट में उल्लेख है कि तीव्र आर्थिक वृद्धि के बावजूद भारत का R&D व्यय स्थिर बना हुआ है।
- **R&D में सार्वजनिक क्षेत्र का प्रभुत्व:** भारत का R&D वित्तपोषण मुख्यतः सार्वजनिक निधियों पर निर्भर है (लगभग 64% योगदान), जबकि अग्रणी नवाचार अर्थव्यवस्थाओं में निजी क्षेत्र का योगदान 60% से अधिक होता है।

रिपोर्ट के अनुसार प्रमुख चुनौतियाँ

- **कम निवेश:** अपर्याप्त निवेश वैज्ञानिक अवसंरचना, उन्नत प्रौद्योगिकी विकास, नवाचार क्षमता और भारत की वैश्विक तकनीकी प्रतिस्पर्धा को सीमित करता है।
- **अत्यधिक प्रशासनिक एवं अनुपालन भार:** अत्यधिक नौकरशाही उत्पादक अनुसंधान समय को कम करती है और वैज्ञानिक नवाचार को धीमा करती है।
- **कठोर खरीद एवं वित्तीय नियम:** शोधकर्ताओं को विशेष उपकरणों की खरीद, निधियों के पुनः आवंटन, परियोजना कर्मचारियों की नियुक्ति और अंतरराष्ट्रीय सहयोग में प्रतिबंधों का सामना करना पड़ता है।
- **खंडित शासन एवं समन्वय की कमी:** भारत का R&D पारिस्थितिकी तंत्र अनेक मंत्रालयों, विभागों और स्वतंत्र रूप से कार्यरत वित्तपोषण एजेंसियों में बिखरा हुआ है। इससे अनुसंधान प्रयासों का दोहराव, अनुमोदन में देरी और एकीकृत योजना व डेटा-साझाकरण प्रणालियों का अभाव उत्पन्न होता है।
- **कमज़ोर उद्योग भागीदारी:** भारत का R&D पारिस्थितिकी तंत्र सरकारी वित्तपोषण पर अत्यधिक निर्भर है, जबकि निजी क्षेत्र की भागीदारी सीमित है।
- **मानव संसाधन चुनौतियाँ एवं ब्रेन ड्रेन:** भारत में कुशल शोधकर्ताओं, प्रयोगशाला तकनीशियनों और

अंतःविषय विशेषज्ञों की कमी है, जबकि बड़ी संख्या में STEM स्नातक तैयार होते हैं।

- सीमित करियर प्रगति, अपर्याप्त फैलोशिप और बेहतर अवसरों व अवसंरचना के कारण प्रतिभाशाली शोधकर्ताओं का विदेश प्रवासन भी एक समस्या है।

- **अनुसंधान का कमज़ोर व्यावसायीकरण:** भारत वैज्ञानिक प्रकाशन और प्रयोगशाला-स्तरीय नवाचार तो करता है, लेकिन उन्हें पेटेंट, औद्योगिक तकनीक, स्टार्टअप और बाज़ार-उपयुक्त उत्पादों में परिवर्तित करने की क्षमता सीमित है।

अनुशंसाएँ

- **प्रशासनिक, वित्तीय एवं खरीद प्रक्रियाओं को सरल बनाना:** शोधकर्ताओं पर अत्यधिक अनुपालन भार को कम करने हेतु सिंगल-विंडो डिजिटल सिस्टम और सरल अनुमोदन प्रक्रियाएँ लागू करने की सिफारिश की गई है।
  - अनुसंधान अनुदान और परियोजना निधियों के उपयोग में अधिक लचीलापन प्रदान करने की आवश्यकता है।
- **उद्योग–अकादमिक सहयोग एवं नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र को सुदृढ़ करना:** विश्वविद्यालयों, उद्योगों, स्टार्टअप और सरकारी प्रयोगशालाओं के बीच सुदृढ़ साझेदारी हेतु रिसर्च पार्क, इनोवेशन क्लस्टर, सहयोगी डॉक्टोरल कार्यक्रम और संयुक्त उद्योग-वित्तपोषित परियोजनाएँ विकसित करने की सिफारिश की गई है।
- **अनुसंधान करियर एवं मानव संसाधन प्रणाली में सुधार:** शोधकर्ताओं के लिए आकर्षक और स्थिर करियर मार्ग बनाने हेतु फैलोशिप, पारिश्रमिक संरचना एवं दीर्घकालिक वित्तपोषण अवसरों में सुधार आवश्यक है।
  - आगामी कुछ वर्षों में S&T में पोस्टडॉक्टरल फैलोशिप की संख्या प्रतिवर्ष 20% बढ़ाने की सिफारिश की गई है।
  - विज्ञान निधि नामक डिजिटल फैलोशिप प्लेटफ़ॉर्म स्थापित करने का सुझाव दिया गया है, जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर और संरचित समर्थन प्रदान करेगा।
- **एकीकृत अनुसंधान शासन:** मंत्रालयों और वित्तपोषण एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय हेतु एकीकृत डेटाबेस, एकीकृत निगरानी प्रणाली एवं सरलीकृत शासन ढाँचे की आवश्यकता है।

सरकारी पहलें

- **अनुसंधान, विकास एवं नवाचार (RDI) योजना:** ₹1 लाख करोड़ कोष के साथ स्वीकृत, जिसका उद्देश्य निजी क्षेत्र के R&D और डीप-टेक स्टार्टअप को प्रोत्साहित करना है।
  - यह दीर्घकालिक, कम या शून्य-ब्याज ऋण, इक्विटी निवेश और डीप-टेक फंड ऑफ फंड्स को वित्तपोषित करता है।
- **अनुसंधान राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन (ANRF):** 2023 में स्थापित, जो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में अनुसंधान, नवाचार और उद्यमिता हेतु उच्च-स्तरीय रणनीतिक दिशा प्रदान करता है।
  - 2023–28 के दौरान ₹50,000 करोड़ जुटाने का लक्ष्य रखा गया है।
- **भारतीय अंतरिक्ष नीति, 2023:** 2020 में शुरू किए गए अंतरिक्ष सुधारों पर आधारित, जिसने गैर-सरकारी संस्थाओं को पूर्ण भागीदारी की अनुमति दी।
- **राष्ट्रीय क्वांटम मिशन:** 2023–31 के लिए ₹6,003.65 करोड़ आवंटित, जिसका उद्देश्य क्वांटम प्रौद्योगिकियों को आगे बढ़ाना है।
- **राष्ट्रीय सुपरकंप्यूटिंग मिशन (NSM):** 2015 में शुरू, जो विश्वविद्यालयों, अनुसंधान संस्थानों और सरकारी एजेंसियों को अत्याधुनिक सुपरकंप्यूटिंग प्रणालियों से सशक्त करता है।
- **भारत सेमीकंडक्टर मिशन (ISM):** 2021 में स्थापित, जिसका उद्देश्य सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले निर्माण हेतु मज़बूत पारिस्थितिकी तंत्र बनाना है।
- **इंडिया AI मिशन:** "मेकिंग AI इन इंडिया एंड मेकिंग AI वर्क फॉर इंडिया" दृष्टिकोण पर आधारित।
  - कंप्यूटिंग क्षमता 10,000 GPUs से बढ़ाकर 38,000 GPUs की गई है।
- **अटल नवाचार मिशन (AIM):** छात्रों, स्टार्टअप और उद्यमियों को समर्थन देकर बुनियादी स्तर पर नवाचार को प्रोत्साहित करता है।

Source: NITI Aayog

संक्षिप्त समाचार

भारत की सांस्कृतिक कूटनीति उपहारों के माध्यम से

संदर्भ

- प्रधानमंत्री मोदी ने संयुक्त अरब अमीरात, स्वीडन, नॉर्वे, नीदरलैंड और इटली की पाँच-देशीय राजनयिक यात्रा के दौरान विश्व नेताओं को पारंपरिक भारतीय हस्तशिल्प, वस्त्र एवं क्षेत्रीय कलाकृतियाँ भेंट कीं।

विश्व नेताओं को दिए गए उपहार

- **इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी** को असम का मूगा सिल्क स्टोल और मणिपुर का ऑफ-व्हाइट शिरुई लिली सिल्क स्टोल भेंट किया गया।
  - मूगा सिल्क, जिसे असम का "स्वर्ण रेशम" कहा जाता है, ब्रह्मपुत्र घाटी में बिना कृत्रिम रंगों के निर्मित एक दुर्लभ वस्त्र है।
  - शिरुई लिली सिल्क स्टोल मणिपुर के शिरुई काशोंग शिखर और दुर्लभ शिरुई लिली पुष्प से प्रेरित है।
- **नीदरलैंड की महारानी मैक्सिमा** को राजस्थान की मीना कारी और कुंदन की बालियाँ भेंट की गईं।
- **नॉर्वे के नेता जोनास गहर स्टोरे** को सिक्किम के वास्तविक दबाए गए ऑर्किड और फर्न से बने ऑर्किड पेंटिंग और ऑर्किड पेपरवेट दिए गए।
- **नॉर्वे के राजा हेराल्ड V** को ओडिशा के कटक की पारंपरिक तरकासी (रजत फिलिग्री कला) से निर्मित रजत नौका मॉडल भेंट किया गया।
- **स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टरसन** को पश्चिम बंगाल का शांतिनिकेतन मैसेंजर बैग और रवीन्द्रनाथ टैगोर के साहित्यिक कार्य दिए गए।
- **संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान** को गुजरात की रोगन पेंटिंग (जीवन वृक्ष की आकृति) भेंट की गई।
  - रोगन कला गुजरात के कच्छ क्षेत्र की एक दुर्लभ वस्त्र चित्रकला परंपरा है।
  - साथ ही जूनागढ़, गुजरात के केसर आमों का एक बॉक्स भी प्रस्तुत किया गया।

महत्व

- ये उपहार स्थानीय कारीगरों, पारंपरिक शिल्प और भौगोलिक संकेतक (GI) उत्पादों को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बढ़ावा देते हैं।
- यह सांस्कृतिक कूटनीति को सुदृढ़ करते हैं और वैश्विक स्तर पर भारत की सॉफ्ट पावर को बढ़ाते हैं।

स्रोत: IE

एशियाई उत्पादकता संगठन (APO)

संदर्भ

- भारत ने 68वीं एशियाई उत्पादकता संगठन (APO) गवर्निंग बॉडी बैठक की मेजबानी की, जिसमें क्षेत्रीय उत्पादकता सहयोग पर ध्यान केंद्रित किया गया।

APO के बारे में

- APO की स्थापना 1961 में हुई थी। यह टोक्यो स्थित एक अंतर-सरकारी निकाय है, जो एशिया-प्रशांत क्षेत्र में उत्पादकता वृद्धि को आपसी सहयोग और क्षमता निर्माण के माध्यम से प्रोत्साहित करता है।
- वर्तमान में APO के 21 सदस्य देश हैं: बांग्लादेश, कंबोडिया, ताइवान, फिजी, हांगकांग (निष्क्रिय), भारत, इंडोनेशिया, ईरान, जापान, कोरिया गणराज्य, लाओस, मलेशिया, मंगोलिया, नेपाल, पाकिस्तान, फिलीपींस, सिंगापुर, श्रीलंका, थाईलैंड, तुर्किये और वियतनाम।
- भारत इसके संस्थापक सदस्यों में से एक है और संगठन की दृष्टि को आकार देने तथा इसकी पहलों को समर्थन देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता रहा है।

स्रोत: PIB

इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट/वेप्स

संदर्भ

- राजस्व खुफिया निदेशालय (DRI) ने महाराष्ट्र, गुजरात, दिल्ली और पश्चिम बंगाल के कई बंदरगाहों और हवाई अड्डों पर बड़े पैमाने पर ई-सिगरेट (वेप) तस्करी रैकेट का भंडाफोड़ किया।

परिचय

- वेप या ई-सिगरेट इलेक्ट्रॉनिक रूप से ग्लिसरीन, फ्लेवर और निकोटीन (सिगरेट में पाया जाने वाला नशे का पदार्थ) के घोल को गर्म करती हैं।
- लोग निकोटीन के लिए सिगरेट का उपयोग करते हैं, लेकिन मृत्यु का मुख्य कारण धूम्रपान से उत्पन्न टार होता है। इसी कारण ई-सिगरेट को धूम्रपान छोड़ने में सहायक के रूप में प्रस्तुत किया गया।

चिंताएँ

- पर्याप्त डेटा उपलब्ध नहीं है कि ई-सिगरेट वास्तव में धूम्रपान छोड़ने में सहायता करती हैं। प्रायः उपयोगकर्ता सिगरेट और वेप दोनों का प्रयोग करते हैं।
- विभिन्न फ्लेवर गैर-धूम्रपान करने वालों को भी इस आदत की ओर आकर्षित कर सकते हैं।

कानूनी स्थिति

- भारत में इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट और सभी इलेक्ट्रॉनिक निकोटीन डिलीवरी सिस्टम (ENDS) पर 2019 के प्रतिबंध अधिनियम के तहत उत्पादन, निर्माण, आयात, निर्यात, परिवहन, बिक्री, वितरण, भंडारण और विज्ञापन पर रोक है।
- यह अधिनियम जनस्वास्थ्य की रक्षा हेतु लागू किया गया था।

स्रोत: PIB

इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रसीदें (EGRs)

समाचार में

- राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज (NSE) ने इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रसीदें (EGRs) लॉन्च की हैं, जिससे सोने का व्यापार अधिक पारदर्शी, सुरक्षित और संगठित हो सके।

EGRs के बारे में

- EGRs डिजिटल प्रतिभूतियाँ हैं, जो भौतिक सोने के स्वामित्व का प्रतिनिधित्व करती हैं।
- वास्तविक सोना SEBI-नियंत्रित वॉल्ट्स में सुरक्षित रखा जाता है, जबकि निवेशक EGRs को अपने डिमैट खातों में रखते हैं, ठीक शेयर या ETF की तरह।
- प्रत्येक EGR वास्तविक सोने द्वारा समर्थित होती है, जिससे गुणवत्ता और प्रामाणिकता सुनिश्चित होती है।
- SEBI-पंजीकृत वॉल्ट प्रबंधक जमा किए गए सोने के लिए भंडारण सेवाएँ प्रदान करते हैं।

कार्यप्रणाली

- भौतिक सोना मान्यता प्राप्त वॉल्ट्स में जमा किया जाता है और उसे EGR इकाइयों में परिवर्तित किया जाता है।
- ये इकाइयाँ स्टॉक एक्सचेंजों पर अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों की तरह कारोबार की जा सकती हैं।
- निवेशक आवश्यकता पड़ने पर EGRs को पुनः भौतिक सोने में परिवर्तित कर सकते हैं।

महत्व

- EGRs भौतिक सोना बाज़ार को वित्तीय प्रणाली से जोड़ती हैं, जिससे पारदर्शिता, तरलता, मूल्य खोज और निवेशक विश्वास में सुधार होता है।
- यह प्रणाली ज्वैलर्स, रिफाइनर्स, ट्रेडर्स, खुदरा एवं संस्थागत निवेशकों सभी के लिए लाभकारी है।

स्रोत: TH

बॉन्ड यील्ड्स

संदर्भ

- पश्चिम एशिया संघर्ष, बढ़ती महँगाई की चिंताएँ, सार्वजनिक वित्त पर दबाव और भविष्य में RBI द्वारा ब्याज दरों में वृद्धि की अपेक्षाओं के कारण भारतीय सरकारी बॉन्ड यील्ड्स में तीव्र वृद्धि हुई है।

बॉन्ड क्या है?

- बॉन्ड सरकारों या कंपनियों द्वारा निवेशकों से एक निश्चित अवधि के लिए ऋण के रूप में लिया जाता है, जिसके बदले नियमित ब्याज भुगतान किया जाता है।
- पुनर्भुगतान तक की अवधि को टर्म टू मैच्योरिटी कहा जाता है।

बॉन्ड यील्ड क्या है?

- बॉन्ड यील्ड वह प्रतिफल है जो निवेशक बॉन्ड धारण करने से अर्जित करता है, जिसे प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है।

- यह कूपन भुगतान (निश्चित ब्याज) और बॉन्ड के बाज़ार मूल्य पर निर्भर करता है।
- सूत्र: बॉन्ड यील्ड = कूपन राशि ÷ बॉन्ड मूल्य

बॉन्ड यील्ड बनाम बॉन्ड मूल्य

- बॉन्ड मूल्य और यील्ड विपरीत दिशा में चलते हैं।

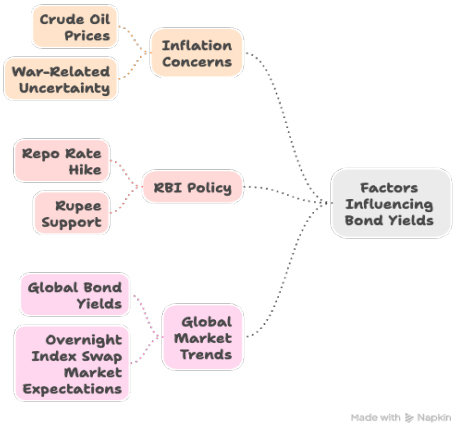

- जब बाज़ार ब्याज दरें बढ़ती हैं, तो कम ब्याज वाले पुराने बॉन्ड कम आकर्षक हो जाते हैं, जिससे उनके मूल्य घटते हैं और यील्ड बढ़ती है।
- जब ब्याज दरें घटती हैं, तो उच्च ब्याज वाले वर्तमान बॉन्ड अधिक मूल्यवान हो जाते हैं, जिससे बॉन्ड मूल्य बढ़ता है और यील्ड घटती है।

स्रोत: TH

IPOs और री-लिस्टिंग्स के लिए SEBI द्वारा नया प्राइस-डिस्कवरी मैकेनिज़्म प्रस्तावित

संदर्भ

- बाज़ार नियामक भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) ने IPO और री-लिस्टिंग्स के लिए प्रि-ओपन कॉल ऑक्शन सेशन के दौरान प्राइस-डिस्कवरी मैकेनिज़्म में महत्वपूर्ण सुधार प्रस्तावित किए हैं।

वर्तमान प्रणाली की चिंताएँ

- SEBI ने देखा कि वर्तमान प्राइस-डिस्कवरी मैकेनिज़्म IPOs और री-लिस्टेड शेयरों के लिए कृत्रिम रूप से शुरुआती कीमतों को दबा सकता है।
- डमी प्राइस बैंड की सीमाओं और वास्तविक निवेशक आदेशों की अस्वीकृति के कारण अक्सर शुरुआती कीमतें अस्वाभाविक रूप से कम रहती हैं।
- इसके परिणामस्वरूप सामान्य ट्रेडिंग शुरू होने पर कीमतों में तीव्र वृद्धि और अत्यधिक अस्थिरता होती है, जिससे निष्पक्ष और कुशल बाज़ार संचालन प्रभावित होता है।

प्रमुख बाज़ार शब्दावली

- **IPO (इनिशियल पब्लिक ऑफर):** वह प्रक्रिया जिसके माध्यम से कोई कंपनी प्रथम बार जनता को अपने शेयर प्रदान करती है और स्टॉक एक्सचेंज पर सूचीबद्ध होती है।
- **री-लिस्टेड कंपनी:** वह कंपनी जिसके शेयर पहले निलंबित या हटाए गए थे और बाद में पुनः सूचीबद्ध किए जाते हैं।
- **प्राइस डिस्कवरी:** वह प्रक्रिया जिसके माध्यम से बाज़ार माँग और आपूर्ति की स्थिति के आधार पर किसी शेयर का उचित मूल्य निर्धारित करता है।

प्रस्तावित प्रमुख परिवर्तन

- **री-लिस्टेड शेयरों के लिए बेस प्राइस निर्धारण में परिवर्तन:** यदि ट्रेडिंग निलंबन के छह माह के भीतर पुनः शुरू होती है, तो पिछले छह माह का नवीनतम क्लोजिंग प्राइस बेस प्राइस होगा।
  - यदि हाल का ट्रेडेड प्राइस उपलब्ध नहीं है, तो दो स्वतंत्र मूल्यांकनकर्ताओं या चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के प्रमाणपत्रों का उपयोग किया जाएगा।
  - छह माह से अधिक निलंबन के बाद री-लिस्टिंग होने पर बेस प्राइस पूरी तरह स्वतंत्र मूल्यांकन रिपोर्टों पर आधारित होगा।
- **डमी प्राइस बैंड मैकेनिज़्म में सुधार:** SEBI ने पाया कि सीमित डमी प्राइस बैंड वास्तविक निवेशक आदेशों को अस्वीकार कर रहे थे।
  - एक मामले में लगभग 90% खरीद आदेश अस्वीकृत हो गए क्योंकि वे अनुमत मूल्य सीमा से बाहर थे।
  - SEBI ने प्रस्तावित किया है कि जब संतुलन मूल्य ऊपरी या निचली सीमा के करीब हो, तो प्राइस बैंड स्वतः 10% तक विस्तारित ("फ्लेक्स") हो जाए।

- **सफल प्राइस डिस्कवरी के लिए सुदृढ़ शर्तें:** एक वैध संतुलन मूल्य के लिए कम से कम पाँच अद्वितीय PAN-आधारित खरीदार और पाँच अद्वितीय PAN-आधारित विक्रेताओं की भागीदारी आवश्यक होगी।
  - वर्तमान में, एक ही मिलान आदेश शुरुआती मूल्य निर्धारित कर सकता है।
- **री-लिस्टेड शेयरों के लिए कॉल ऑक्शन की निरंतरता:** यदि पहले दिन प्राइस डिस्कवरी विफल होती है, तो कॉल ऑक्शन प्रक्रिया अगले दिनों तक जारी रह सकती है जब तक वैध संतुलन मूल्य प्राप्त न हो।
  - IPOs के लिए, यदि कोई संतुलन मूल्य नहीं निकलता, तो ट्रेडिंग सामान्य बाज़ार में इश्यू प्राइस को बेस प्राइस मानकर स्थानांतरित हो जाएगी।

वर्तमान प्रणाली

- IPOs और री-लिस्टेड शेयरों के लिए लिस्टिंग दिवस पर सुबह 9 बजे से 10 बजे तक एक घंटे का प्रि-ओपन कॉल ऑक्शन सेशन होता है।
- मेनबोर्ड IPOs वर्तमान में बेस प्राइस के -50% से +100% तक के डमी प्राइस बैंड में संचालित होते हैं।
- SME IPOs के लिए वर्तमान में ±90% का निश्चित बैंड होता है, जिसमें स्वतः लचीलापन नहीं होता।

स्रोत: Mint

अरुणाचल कीवी मिशन

संदर्भ

- पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास मंत्री ने "अरुणाचल कीवी: अरुणाचल प्रदेश की विशिष्ट पहचान" पर आधारित मिशन का शुभारंभ किया।

मिशन के बारे में

- इस मिशन का बजट लगभग ₹167 करोड़ है और इसका उद्देश्य संपूर्ण कीवी मूल्य श्रृंखला को सुदृढ़ करना है – खेती और फसलोत्तर प्रबंधन से लेकर ब्रांडिंग, निर्यात एवं कृषि-पर्यटन तक।
- मिशन का लक्ष्य कीवी ऑर्चर्ड टूरिज़्म और फार्म-स्टे अनुभवों को ज़ीरो वैली एवं दिरांग जैसे क्षेत्रों में बढ़ावा देना है, जिससे बागवानी को अनुभवात्मक पर्यटन से जोड़ा जा सके।
- अरुणाचल प्रदेश वर्तमान में भारत के कीवी उत्पादन का 50% से अधिक योगदान करता है और प्रतिवर्ष 7,050 मीट्रिक टन से अधिक उत्पादन करता है।
  - इसके बावजूद स्थानीय किसानों को घरेलू और वैश्विक बाज़ारों में बिकने वाले आयातित कीवी की तुलना में काफी कम मूल्य प्राप्त होता है।

कीवी या चीनी गूसबेरी (एक्टिनिडिया डेलिसिओसा) के बारे में

- यह पोषक तत्वों से भरपूर काष्ठीय पतझड़ी बेल है, जो पूर्वी एशिया की मूल प्रजाति है। इसकी पहचान भूरे रोएँदार छिलके, हरे/सुनहरे गूदे और खाने योग्य काले बीजों से होती है।
- इसे सर्दियों में 7°C से कम तापमान पर 700–800 चिलिंग आवर्स की आवश्यकता होती है और यह मध्य-पहाड़ी क्षेत्रों (800–1,500 मीटर ऊँचाई) के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है।
- यह 4–5 वर्षों में फल देना शुरू करता है और 7–8 वर्षों में पूर्ण वाणिज्यिक उत्पादन तक पहुँचता है।

स्रोत: DD News

स्पर्म व्हेल्स

संदर्भ

- शोधकर्ताओं ने खुलासा किया है कि स्पर्म व्हेल्स, जो क्लिकिंग ध्वनियों के माध्यम से संवाद करती हैं, इन ध्वनियों में विविधता लाती हैं जो मनुष्यों द्वारा स्वर (vowels) के उपयोग से मिलती-जुलती है।
  - इन ध्वनियों में मानव फोनोलॉजी से स्पष्ट समानताएँ दिखाई देती हैं — यह वह प्रणाली है जो मानव भाषा में ध्वनि पैटर्न को व्यवस्थित करती है।

स्पर्म व्हेल के बारे में

- **नाम:** स्पर्म व्हेल (फाइसेटर मैक्रोसेफालस)।
  - इसका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि इसके सिर में पाया जाने वाला अर्ध-द्रव, मोमी पदार्थ प्रारंभ में स्पर्म समझा गया था।
- **वितरण:** यह विश्व के महासागरों और भूमध्य सागर में

पाई जाती है।

- **आकृति:** यह एक बड़ी, गहरे रंग की दाँत वाली व्हेल है, जिसका विशाल चौकोर आकार का सिर उसके शरीर की लंबाई का एक-तिहाई से अधिक हो सकता है।
  - स्पर्म व्हेल दाँत वाली व्हेलों में सबसे बड़ी होती है।

- **खतरे:** गहरे समुद्र में तेल और गैस की खोज से सुनने की क्षमता का नुकसान, हाइड्रोकार्बन से जल प्रदूषण और समुद्री जहाज़ों से टकराने का जोखिम बढ़ जाता है।
- **संरक्षण स्थिति:** IUCN द्वारा सुभेद्य श्रेणी में सूचीबद्ध।
  - वन्यजीव संरक्षण अधिनियम की अनुसूची-2 के अंतर्गत संरक्षित और इसके उप-उत्पादों, जैसे एम्बरग्रीस, का स्वामित्व या व्यापार अवैध है।
  - CITES (वन्य जीव एवं वनस्पति की लुप्तप्राय प्रजातियों के अंतरराष्ट्रीय व्यापार पर सम्मेलन) की परिशिष्ट-I में सूचीबद्ध।
  - हालाँकि, एम्बरग्रीस CITES प्रावधानों में शामिल नहीं है क्योंकि इसे प्राकृतिक रूप से उत्सर्जित अपशिष्ट माना जाता है और कई देशों में इसका व्यापार वैध है।

एम्बरग्रीस

- एम्बरग्रीस का अर्थ फ्रेंच में "ग्रे एम्बर" है। यह एक मोमी पदार्थ है जो स्पर्म व्हेल के पाचन तंत्र से उत्पन्न होता है।
- बाज़ार में इसके उच्च मूल्य के कारण इसे प्रायः 'फ्लोटिंग गोल्ड' और 'समुद्र का खजाना' कहा जाता है।

स्रोत: TH